बहादुर / अख्तरी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
01.1.21	पत्रावली पेश हुई। सरिश्ते रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपील के साथ संलग्न मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना-पत्र पर अपी० अभिभाषक को सुना गया। अपील subject to limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 5.1.2021 को पेश हो।	
5.1.2021	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट अभिभाषक को तहत अदालत के आदेश दिनांक 8.1.2014 पर सुना तथा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तरिम स्थगन आदेश हेतु सुना गया। अपील के तथ्यों का अवलोकन किया गया। तहत अदालत सहायक कलेक्टर बहरोड के अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 8.1.2014 का अवलोकन किया तथा अपीलांट द्वारा पेश आदिनांक तक तहत अदालत की आदेशिकाओं की प्रतियों का अवलोकन किया। बहस पर गौर किया तथा कानूनी प्रावधानों पर गौर किया। प्रकरण में तहत अदालत में असल रेस्पोंडेंट वादी द्वारा अपीलांट व शेष प्रतिवादी रेस्पोंडेंट के विरुद्ध एक पक्षीय अस्थायी स्थगन आदेश पारित करके विवादित आराजी वाकै ग्राम ख०नं० 1576, 1581, 1583, 1586, 1587 किता 5 बारे ग्राम मौका, तह० नीमराना को बेचान नहीं करने पाबंद किया और यह भी आदेश दिये कि आगामी तारीख पेशी तक यदि अप्रार्थीगण के तलबी नहीं होती तो अस्थायी आदेश (स्वत: ही) निरस्त होगा।	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
	अपीलांट अभिभाषक का अपील में कथन/बहस में कथन है कि प्रार्थी/रेस्पोंडेंट असल दावा अप्रार्थीगण की तलबी आरडीनेंस तक नहीं करवायी है और 6 वर्ष बाद भी प्रार्थना पत्र धारा 212 एक्ट का गुणावगुण पर निस्तारण नहीं किया है तथा अपीलांट/अप्रार्थीगण एवं रेस्पोंडेंट की रिकार्डेड खातेदार, सहखातेदार है उनको अपनी आराजीयात उपयोग, उपभोग नहीं करने हेतु पाबन्द कर दिया है अपीलांट व रेस्पो/रि०आ० के रिकार्डेड सहखातेदार (शेयर) एवं सहखातेदार को किसी प्रकार की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है अपीलांट गण 6 वर्ष पूर्व अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश से पीड़ित है जिससे अपील करना लाजमी है क्योंकि तहत अदालत ने ना तो आरडीनेंस तलबी की कार्यवाही करायी है और ना ही गुणावगुण पर CPC के प्रावधानों के तहत निर्णय पारित किया है अपीलांट अभिभाषक द्वारा अपने उपर्युक्त तर्कों के आधार पर तहत अदालत के आदेश दिनांक 8.1.2014 को निरस्त करने की बात कही गई है हमने उपरोक्त तथ्यों तथा बहस पर गौर किया। यद्यपि तहत अदालत का आदेश अन्तरिम आदेश है जो 8.1.2014 अर्थात 6 वर्ष पूर्व जारी किया था	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
	तहत अदालत की पत्रावली की आर्डरशीटों की प्रतियो का अवलोकन से पहली नजर ही कि [illegible] आईडेनांक गलती से ही किया गया है जो CPC के प्रावधानों के तहत 90 दिवस में ऐसे आर्डरशीटों में पारित आदेश निरस्त किया जाना चाहिए। जैसा कि माननीय अपीलीय न्यायालयों ने किये नजीर पेश की है यद्यपि यह अपील अन्तरिम आदेश के विरुद्ध पेश की गई है जो अपीलीय मेरिट की श्रेणी में आता है तथापि तहत न्यायालयों से गलती आर्डर की जाती है कि अन्तरिम आदेशों का CPC के प्रावधानों के आधार पर 90 दिवस में निरस्तगी गुणावगुण पर हो जाना न्यायोचित है यहां पर यह अन्तरिम आदेश 6 वर्ष / 7 वर्ष पूर्व 8.1.2014 को जारी किया है जिसमें भारी गलती की गई प्रतीत होती है ऐसी स्थिति में एक रिकार्डेड खातेदार को किसी भी प्रकार की अन्तरिम आदेश से इतने लम्बे समय तक पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है ऐसी स्थिति में यह अपील काबिल स्वीकार होने योग्य है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा तहत अदालत का निर्णय दिनांक 08.1.2014 निरस्त किया जाता है	

PTO

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	तहत अदालत को आदेशित है कि प्रार्थी और अप्रार्थीगण को सुनकर पुनः गुणावगुण पर अंतिम रूप से दो माह की अवधि में निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति तहत अदालत को ऑफिस से प्रेषित भिजवायी जावे। प्रकरण का इसी स्तर पर निर्णय किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05/11/21 को सुनाया गया। [signature] 05/11/2021 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर